न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) सांचौर, जिला–जालोर

पीठासीन अधिकारी का नाम :– श्री प्रमोद कुमार(आर.ए.एस)

मुकदमा संख्या :– 61/2014

जी.सी.एम.एस. नंबर :– 2011/00094

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1 मृतवफी भोमसिंह पुत्र सरूपसिंह जति–राजपुत, निवासी–डबाल तहसील–सांचौर के कायम मुकाम व वारिसदारान् अ–लक्ष्मणसिंह पुत्र भोमसिंह ब–खानसिंह पुत्र भोमसिंह स–जालमसिंह पुत्र भोमसिंह कौम–राजपुत, साकिनान्–डबाल तहसील–सांचौर, जिला–जालोर, राजस्थान		1 पूरसिंह पुत्र सरूपसिंह जाति–राजपुत, निवासी–डबाल तहसील–सांचौर, जिला–जालोर 2 सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार सांचौर, तहसील–सांचौर

दावा बाबत् इस्तकरारहक, खातेदारी, बंटवाडा एवं जारी करने स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 40, 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

तारीख रजु :– 17.01.2011

1. वादीगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री भगवती प्रसाद बालोत उपस्थित।
2. प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री इब्राहिम शाह जूनेजा उपस्थित।
3. प्रतिवादी संख्या 2 बावजूद तामील (सूचना) अनुपस्थित रहने पर एकपक्षीय कार्यवाही।

:– निर्णय :– दिनांक :– 11.03.2025

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण के दादा सरूपा उर्फ सरूपसिंह वल्द वदा कौम राजपुत साकिनदेह डबाल थे हमारे दादा सरूपा के दो पुत्रगण क्रमश हम वादीगण के पिता भोमसिंह एवं प्रतिवादी संख्या 1 पूरसिंह है। हमारे दादा सरूपा वल्द वदा साकिनदेह डबाल की मौरसी जायदाद के पैतृक संपति के खेत वांके सरहद डबाल में पुराना खेत खसरा संख्या 134 रकबा 53 बीघा 10 बिस्वा खेत खसरा संख्या 136 रकबा 21 बीघा 16 बिस्वा व खेत खसरा संख्या 409 रकबा 20 बीघा 16 बिस्वा खातेदारीसुदा पट्टासुदा थे, जिसका प्रथम सेटलमेंट में पटटा हमारे दादा सरूपा के नाम से हुआ। जमाबंदी खेवट खतौनी (मिसल बन्दोबस्त) संवत् 2012 से [illegible] संलग्न है। हमारे दादा सरूपा की संपति में सरूपा के दोनों पुत्रगण क्रमश हम [illegible] एवं प्रतिवादी संख्या 1 पूरसिंह का समान रूप से यानि [illegible] चला आ रहा है। आज दिन तक की बिगोडी हम वादीगण अदा करते है। गिरदावरी [illegible] सामलाती होती आ रही है। पुराना खेत खसरा संख्या 134 से नवीन खसरा संख्या 205 रकबा 3.30 हैक्टैयर एवं खसरा संख्या 206 रकबा 5.36 हैक्टेयर, पुराना खेत खसरा संख्या 136 के नवीन खसरा संख्या 208 रकबा 3.53 हैक्टेयर सृजित हुए है। उपरोक्त तीनों खसरा नंबरान की जुमले भूमि रकबा 12.19 हैक्टेयर में हम वादीगण का 1/2 हिस्सा अनुसार 6.095 हैक्टैयर एवं

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.04.24 17:02:35 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट

प्रतिवादी संख्या 1 पूरसिंह के 1/2 हिस्सा अनुसार 6.095 हैक्टेयर बंट में आती है। प्रतिवादी संख्या 1 राजनैतिक प्रभावशाली व्यक्ति तथा पढ़ा लिखा एवं होशियार व्यक्ति होने के कारण हमारे पिता भोमसिंह के भोलेपन का नाजायज फायदा उठाकर पुराने उपरोक्त खेतों में से नवसृजित खसरा संख्या 205, 208 रकबा क्रमश 3.30, 3.53 हैक्टेयर जुमले रकबा 6.83 हेक्टेयर अपने नाम करवा ली तथा हमारे पिता भोमसिंह के नाम मात्र खसरा संख्या 206 रकबा 5.36 हैक्टेयर भूमि करवायी। इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 पूरसिंह ने हमे 0.735 हैक्टेयर भूमि कम दी जबकि हम प्रत्येक पक्षकारान 6.095 हैक्टेयर के हकदार है। प्रतिवादी संख्या 1 पूरसिंह ने हमारे पिता भोमसिंह का भोलेपन का फायदा उठाकर अपने नाम 0.735 हैक्टेयर भूमि ज्यादा करवाई। इसका अभिज्ञान हम वादीगण को पूर्व में कतई नहीं था। अभिज्ञान अभी प्रशासन गांवों के संग अभियान 2010 कैम्प डबाल में अभी कुछ दिन पूर्व सम्पन्न हुआ तब हमे पता पड़ा कि हमारे खाते में पूरसिंह से 0.735 हैक्टेयर कम भूमि है तब मुझ वादी जालमसिंह ने एक आवेदन पत्र भी श्रीमान शिविर प्रभारी महोदय प्रशासन गांवो के संग अभियान कैम्प डबाल में दिया तब हमे कहा गया कि ऐसा मामला दावा के जरिये सक्षम कोर्ट से निपटाया जाता है। प्रशासन गांवों के संग अभियान कैम्प में इसका निर्णय नहीं हो सकता, जिस पर यह दावा हाजा पेश करने की नौबत पैदा हुई है। खेत खसरा संख्या 205 एवं 208 प्रतिवादी संख्या 1 के नाम है। हम वादीगण के नाम खसरा नंबर 206 है तथा हमारे खेत खसरा संख्या 206 के उतर में रकबा 0.735 हैक्टेयर भूमि जो हमारी खातेदारी में कम दर्शायी गयी है वह भूमि खसरा संख्या 208 रकबा 3.53 हैक्टेयर में से 0.735 हैक्टयेर हम वादीगण के खातेदारी के खेत खसरा संख्या 206 में एक चक में है तथा प्रतिवादी संख्या 1 के खेत खसरा संख्या 208 में से हम वादीगण के खेत खसरा संख्या 206 में प्रवेश करने के लिए एक मात्र रास्ता 0.01 हैक्टेयर खसरा संख्या 208 के पूर्व की माठ से होता हुआ हम वादीगण के खेत खसरा संख्या 206 तक आता है। हमारे खेत में खसरा संख्या 206 में प्रवेश करने के लिए खसरा संख्या 208 के पूर्व दिशा से होता हुआ चलता है जो हमारा सुखाचार है। कदीमी से यह रास्ता हम वादीगण के खेत खसरा संख्या 206 में प्रवेश करने के लिए आवागमन के रूप में चला आ रहा है। इस प्रकार हम वादीगण की भूमि खेत खसरा संख्या 206 रकबा 5.36 हैक्टेयर एवं आवागमन का रास्ता वादी की भूमि खसरा संख्या 208 रकबा 3.53 हैक्टेयर में से रकबा 0.01 हैक्टेयर रास्ते की भूमि जिसमें से हम वादीगण की भूमि 0.735 हैक्टेयर में से 0.01 हैक्टेयर रास्ते की भूमि कम करने पर शेष भूमि 0.725 हैक्टेयर एवं प्रतिवा[illegible] खसरा संख्या 208 रकबा 3.53 हैक्टेयर में से हम वादीगण की [illegible] भूमि प्रतिवादी संख्या 1 पूरसिंह के रहती है। इस प्रकार हम वादीगण [illegible] संख्या 206 की भूमि 5.36 हैक्टेयर प्रतिवादी संख्या 1 के खसरा संख्या 208 रकबा 3[illegible] हैक्टेयर में से हम वादीगण की 0.725 हैक्टेयर एवं प्रतिवादी संख्या 1 के भूमि 2.795 हैक्टेयर रहती है। इस बाबत हम वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 को कहा तो टंटा फिसाद पर उतारू हुआ वह कहा कि न तो मैं भूमि दूंगा न ही रास्ते की भूमि दूंगा जो करना है वो कर दो ऐसी सूरत में भी

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.04.24 17:02:35 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्टट्रेक) सांचौर

वाद पेश करने की नौबत पैदा हुई है। विनायवाद वांके सरहद डबाल का पुराना खेत खसरा संख्या 134 एवं 136 से नवसृजित खसरा संख्या 205, 206, 208 रकबा क्रमश 3.30, 5.36, 3.53 जुमले रकबा 12.19 हैक्टेयर भूमि हमारी पैतृक संपति की है। हमारे दादा सरूपा उर्फ सरूपसिंह वल्द वदा जाति राजपुत निवासी डबाल के नाम से पट्टा बना था। सरूपा के दोनो पुत्र भोमसिंह एवं प्रतिवादी संख्या 1 पूरसिंह दोनो का समान रूप से 1/2, 1/2 हिस्सा अनुसार 6.095 हैक्टेयर बंट में भूमि आती है किन्तु हम वादीगण के पिता भोमसिंह का भोलेपन का फायदा उठाकर प्रतिवादी संख्या 1 पूरसिंह ने अपने नाम 0.735 हैक्टेयर भूमि अधिक दर्ज करवा दी तथा हम वादीगण के खेत खसरा संख्या 206 में प्रवेश करने के लिए रास्ता भी नही छोड़ा जिसकी जानकारी हम वादीगण को पूर्व में नहीं थी जानकारी अभी प्रशासन गांवों के संग अभियान होने पर मालूम होने पर हमने आवेदन पत्र भी दिया। प्रतिवादी संख्या 1 पूरसिंह को हमने हमारी भूमि पूरी करने का भी कहा किन्तु प्रतिवादी संख्या 1 नहीं माना उपर से धमकियां दी, ऐसी सुरत में वाद पेश करने की नौबत पैदा हुई हुई। अतः वांके सरहद डबाल के खेत खसरा संख्या 208 में से रकबा 0.735 हैक्टेयर के खातेदारी हकों की उद्घोषणा डिक्री बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण सादिर फरमाई जाकर राजस्व रेकर्ड में दर्ज फरमावे तथा उक्त आराजी बाबत बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण इस अमर की स्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमावें तथा उपरोक्तानुसार बंटवाड़े की डिक्री जारी फरमावें।

वादीगण का उपरोक्त वाद दिनांक 17.01.2011 को बाद कार्यालय टिप्पणी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 पूरसिंह ने जवाबदावा पेश कर निवेदन किया वादीगण के पिता भोमसिंह ने राजी खुशी, बिना किसी डर एवं दबाव के आपसी सहमति से विवादित संपति का बंटवाड़ा करवा दिया था, जिसके आधार पर द्वितीय सेटलमेंट में वादीगण के पिता एवं प्रतिवादी के नाम अलग–अलग खातेदारी दर्ज कर जमाबंदी एवं पर्चा लगान बनाया गया है। इस बात का ज्ञान वादीगण को अपने पिता के जीवनकाल में ही था एवं वादीगण की सहमति बंटवाड़ा में थी, जिसके कारण करीबन 40 साल का लंबा समय बीत जाने के बावजूद भी राजस्व रेकर्ड को किसी भी सक्षम अदालत में चेलेन्ज नहीं किया गया है। वर्तमान में जमीनों के भाव नहर आने के कारण बढ़ गये है। वादीगण की नियत में खोट आ गया है। वादीगण भाई बन्ट में प्रतिवादी संख्या 1 को दी जमीन हड़प करना चाहते [illegible] आधार पर हस्तगत दावा माननीय न्यायालय में वादीगण द्वारा पेश किया गया [illegible] संपति का बंटवाड़ा वादीगण के पिता ने अपने जीवनकाल में कर दिया है, जिसका [illegible] को करीबन 40 सालों से है। वादीगण स्वयं 52,48 व 38 साल के है। वादी[illegible] ने प्रतिवादी के हक हिस्से की संपति हड़प करने के उद्देश्य से हस्तगत दावा पेश किया है। अतः जवाब पेश कर माननीय न्यायालय से निवेदन है कि वादीगण का वाद सारहीन, मनगंढत तथ्यों पर आधारित होने से मय खर्चा खारिज फरमावें। प्रतिवादी संख्या 2 बावजूद तामील (सूचना) अनुपस्थित रहने से उक्त के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.04.24 17:02:35 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट्रेक) साँचौर

हस्तगत वाद में मुख्य बिन्दू उभयपक्ष के अभिवचनों के आधार पर निम्नानुसार तनकीयात कायम की गई।

तनकी संख्या 1 आया वांके सरहद मौजा डबाल के खेत खसरा संख्या 205 रकबा 3.30 हैक्टेयर, खसरा संख्या 206 रकबा 5.36 हैक्टेयर, खसरा संख्या 208 रकबा 3.53 हैक्टेयर भूमि हम वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 पूरसिंह की पैतृक संपति के होने से उक्त आराजी में हम वादीगण का 1/2 हिस्सा होने से उपरोक्त आराजी में हमारे स्व. पिता भोमसिंह के भोलेपन का नाजायज फायदा उठाकर प्रतिवादी 01 पूरसिंह ने हमारे नाम खेत खसरा संख्या 206 रकबा 5.36 हैक्टेयर ही रखा व खेत खसरा संख्या 205 व 208 जुमले रकबा 6.83 हेक्टेयर भूमि दर्ज करवा दी, खेत खसरा संख्या 208 में प्रदर्श नक्शा 'अ' अनुसार रकबा 0.01 हैक्टेयर भूमि हमारे खेत खसरा संख्या 206 में आने जाने हेतु रास्ता व खेत खसरा संख्या 208 में से रकबा 0.725 हैक्टेयर भूमि की खातेदारी पाने के वादीगण हकदार है। (जिम्मे वादीगण)

तनकी संख्या 02 :– आया वांके सरहद मौजा डबाल के खेत खसरा संख्या 206 रकबा 5.36 हैक्टेयर व खेत खसरा संख्या 208 में से रकबा 0.725 हैक्टेयर पर हम वादीगण का पीढ़ियों पुराना सहज व शांतिपूर्वक काश्त व कब्जा तथा खेत खसरा संख्या 208 में से रकबा 0.01 हैक्टेयर भूमि पर पीढ़ियों पुराना वादीगण का आवागमन का सुखाचार का रास्ता उपयोग व उपभोग का होने से प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा हमारे रास्ते में तथा कब्जे काश्त में दखलंदाजी करने से वादीगण प्रतिवादी संख्या 01 के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री के पाने के हकदार है।

(जिम्मे वादीगण)

तनकी संख्या 03 :– आया वादग्रस्त आराजी वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 की पैतृक संपति होने से वादीगण प्रदर्श नक्शा 'अ' अनुसार बंटवाड़ा करवाने के तथा प्रदर्श नक्शा 'अ' अनुसार रास्ते की भूमि तरमीम करवाने के अधिकारी है। (जिम्मे वादीगण)

तनकी संख्या 04 :– आया वादीगण वादग्रस्त आराजी में खातेदारी अधिकारों की घोषणा एंव बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स वादग्रस्त बंटवाड़ा करवाने के अधिकारी नहीं है। (जिम्मे प्रतिवादी संख्या 1)

तनकी संख्या 05 :– आया वादग्रस्त आराजी का सह[illegible] होने से [illegible] के श्रवणाधिकार का नही है। (जिम्मे प्रतिवादी संख्या 1)

वादीगण की ओर से गवाह पीडब्ल्यू 1 से पीडब्ल्यू 3 पेश हुए पीडब्ल्यू 1 [illegible]सिंह, पीडब्ल्यू 2 परखसिंह, पीडब्ल्यू 3 जेठूसिंह पेश हुए जो अपने बयानों में वादीगण का [illegible]ग्रस्त आराजी में 1/2 हिस्सा होने व 1/2 हिस्से की आराजी पर वादीगण का कब्जा काश्त होने से रकबा 0.735 हैक्टेयर भूमि प्रतिवादी संख्या 1 पूरसिंह से प्राप्त करने का वादीगण हकदार होने के कथन करते है। प्रतिवादी संख्या 1 पूरसिंह ने अपना साक्ष्य शपथ पत्र पेश किया परन्तु प्रतिवादी को साक्ष्य गवाह पेश करने हेतु पर्याप्त एवं उससे भी अधिक अवसर देने के बावजूद

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.04.24 17:02:35 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्टट्रेक) सांचौर

न्यायालय में उपस्थित होकर प्रतिवादी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने से प्रतिवादी साक्ष्य बन्द की गई।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई। वादीगण के विद्वान अधिवक्ता ने वादपत्र में अंकित अभिकथनों को दोहराते हुए तर्क दिया कि नवीन खसरा संख्या 205 रकबा 3.30 हैक्टेयर, खसरा संख्या 206 रकबा 5.36 हैक्टेयर, खसरा संख्या 208 रकबा 3.53 हैक्टेयर जुमले रकबा 12.19 हैक्टैयर में वादीगण का 1/2 हिस्सा, अनुसार 6.095 हैक्टेयर एवं प्रतिवादी 1 पूरसिंह के 1/2 हिस्से अनुसार 6.095 हैक्टेयर बंट में आती है क्योंकि वादीगण के दादा सरूपा के दो पुत्रगण वादीगण के पिता भोमसिंह व प्रतिवादी संख्या 1 पूरसिंह है। इस प्रकार प्रथम सेटलमेंट में वादीगण के दादा सरूपा के नाम उक्त खातेदारी होने से सरूपा के दोनों पुत्रगण का समान 1/2, 1/2 हिस्सा था व दी परन्तु प्रतिवादी संख्या 1 राजनैतिक एवं प्रभावशाली व पढा लिखा व्यक्ति होने के कारण वादीगण के पिता के भोलेपन का नाजायज फायदा उठाकर नवसृजित खसरा संख्या 205 व 208 जुमले रकबा 6.83 हेक्टेयर प्रतिवादी संख्या 1 पूरसिंह ने अपने नाम करवा ली तथा वादीगण के पिता के नाम मात्र खसरा संख्या 206 रकबा 5.36 हैक्टैयर भूमि करवाई यानि 0.735 हैक्टेयर भूमि कम दी गई जिसकी वादीगण को जानकारी नहीं होने से तथा जानकारी होने पर वादीगण ने न्यायालय में खातेदारी घोषणा बाबत् वाद पेश किया तथा खसरा संख्या 208 रकबा 3.53 हैक्टेयर में से वादीगण रकबा 0.735 हैक्टेयर की खातेदारी पाने के हकदार है तथा 0.735 हैक्टैयर में से वादीगण स्वयं के रास्ते की भूमि 0.01 हैक्टेयर कम की जाकर रकबा 0.725 हैक्टेयर भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के खसरा संख्या 208 रकबा 3.53 हैक्टेयर में से वादीगण पाने के हकदार है तथा प्रदर्श नक्शा 'अ' अनुसार रास्ता व भूमि पाने के वादीगण हकदार होने से वादीगण के नाम उपरोक्तानुसार खातेदारी घोषित की जावें तथा उक्त आराजी में प्रतिवादी संख्या 1 दखलंदाजी नहीं करे इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री पारित करावें।

प्रतिवादी संख्या 1 के विद्वान अधिवक्ता ने जवाबदावा में अंकित कथनों को दोहराया तथा तर्क दिया कि वादीगण के पिता भोमसिंह ने राजी खुशी से आपसी सहमति से वादग्रस्त आराजी का बंटवाड़ा करवा दिया था जिसके आधार पर द्वितीय सेटलमेंट में वादीगण के पिता एवं प्रतिवादी के नाम अलग अलग खातेदारी दर्ज कर जमाबंदी एवं पर्चा लगान बनाया गया है। इस बात का ज्ञान वादीगण को अपने पिता के जीवनकाल में ही था [illegible] साल की लंबा समय बीत जाने के बावजूद भी राजस्व रेकर्ड को [illegible] किया है। वर्तमान में नहर के कारण जमीनों के भाव बढ़ जाने के कारण [illegible] गण की नियत में खोट आ गई तथा भाई बंट में आई भूमि को प्रतिवादी संख्या 1 के ख[illegible] दर्ज है हड़पना चाहते है जिस कारण यह विधि विरूद्ध व गलत तथ्यों के आधार पर वाद पेश किया है जो वादीगण का वाद खारिज किया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.04.24 17:02:35 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट्ट्रेक) सांचौर

मैने पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अध्ययन किया। उभयपक्ष द्वारा बहस में प्रस्तुत तर्को पर मनन किया। तनकीवार निर्णय इस प्रकार है :–

<u>तनकी संख्या 01 :–</u> ग्राम डबाल के पुराना खसरा संख्या 134 रकबा 53 बीघा 10 बिस्वा, खसरा संख्या 136 रकबा 21 बीघा 16 बिस्वा, खसरा संख्या 409 रकबा 20 बीघा 16 बिस्वा जुमले रकबा 96 बीघा 2 बिस्वा भूमि मिसल बंदोबस्त संवत् 2012 से 2031 ईएक्सपी 4 अनुसार सरूप वल्द विदा कौम राजपुत सा. देह खातदेार दर्ज है। उक्त पुराने खसरा संख्या से नवीन खसरा संख्या 205 रकबा 3.30 हैक्टेयर, खसरा संख्या 206 रकबा 5.36 हैक्टेयर, खसरा संख्या 208 रकबा 3.53 हैक्टेयर खसरा संख्या 574 रकबा 3.37 हैक्टेयर नवसृजित हुए जो ईएक्सपी3 मिलान क्षेत्रफल से स्पष्ट है। इस प्रकार वादीगण के वादपत्र एवं प्रतिवादी संख्या 1 जवाबदावे से यह स्पष्ट है कि सरूपा के दो पुत्रगण भोमसिंह व प्रतिवादी संख्या 1 पूरसिंह है तथा भोमसिंह के उतराधिकारी वादीगण की ईएक्सपी जमाबंदी संवत् 2063 से 2066 में खेत खसरा संख्या 206 रकबा 5.36 हैक्टेयर भूमि भोमसिंह पुत्र सरूपसिंह कौम राजपुत के नाम ईन्द्राज थी तथा भोमसिंह के फौत होने पर जरिये नामान्तरकरण संख्या 350 के जरिये उक्त आराजी वादीगण के नाम इन्द्राज हुई। इस प्रकार ईएक्सपी 2 जमाबंदी संवत् 2063 से 2066 में खेत खसरा संख्या 205 रकबा 3.30 हैक्टेयर, खसरा संख्या 208 रकबा 3.53 हैक्टेयर जुमले रकबा 6.83 हैक्टेयर पूरसिंह वल्द सरूपसिंह कौम राजपुत के नाम इन्द्राज है। ईएक्सपी 5 प्रदर्श नक्शा 'अ' अनुसार वादीगण ने खातेदारी की मांग कर बंटवाड़ा चाहा है। सर्वप्रथम ईएक्सपी 4 मिसल बंदोबस्त का अवलोकन करने पर पुराना खसरा संख्या 134 रकबा 53 बीघा 10 बिस्वा भूमि खसरा संख्या 136 रकबा 21 बीघा 16 बिस्वा भूमि व खसरा संख्या 409 रकबा 20 बीघा 16 बिस्वा भूमि सरूप वल्द विदा कौम राजपुत के नाम इन्द्राज है, ईएक्सपी 3 मिलान क्षेत्रफल अनुसार पुराना खसरा संख्या 134 से नवीन खसरा संख्या 205 रकबा 3.30 हैक्टेयर, खसरा संख्या 206 रकबा 5.36 हैक्टेयर, खसरा संख्या 136 से नवीन खसरा संख्या 208 रकबा 3.53 हैक्टैयर सृजित हुए है। इस प्रकार सरूप वल्द विदा वादीगण के दादा है तथा सरूपा के दो पुत्रगण भोमसिंह व पूरसिंह है जो वादीगण ने अपने वादपत्र व प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने जवाब दावे में उक्त तथ्यों को स्वीकार किया है। इस प्रकार खसरा संख्या 205 रकबा 3.30 हैक्टेयर, खसरा संख्या 206 रकबा 5.36 हैक्टेयर, खसरा संख्या 208 रकबा 3.53 हेक्टेयर जुमले रकबा 12.19 हैक्टेयर [illegible] ईएक्सपी 4 अनुसार सरूपा वल्द विदा की होने से उक्त आराजी में सरूपा के फौत [illegible] के [illegible] सरूपा के दोनों पुत्रगण भोमसिंह व पूरसिंह का 1/2, 1/2 हिस्सा अनुसार 6.095, 6.095 हैक्टेयर भूमि बंट में आती है। परन्तु ईएक्सपी 1 व 2 जमाबंदी अनुसार वादीगण के खाते में खसरा संख्या 206 रकबा 5.36 हैक्टेयर व प्रतिवादी संख्या 1 पूरसिंह के खाते में खसरा संख्या 205 रकबा 3.30 हैक्टेयर, खसरा संख्या 208 रकबा 3.53 हैक्टेयर जुमले रकबा 6.83 हेक्टेयर है। इस प्रकार वादीगण के खाते में 1/2 हिस्से अनुसार 6.095 हैक्टेयर होनी चाहिए थी जो रकबा 0.735 हैक्टेयर भूमि वादीगण के खाते में कम दर्ज की गई तथा उक्त आराजी 0.735

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.04.24 17:02:35 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट्रैक) सांचौर

हैक्टेयर प्रतिवादी संख्या 1 पूरसिंह के खाते में ज्यादा दर्ज की गई है। वादीगण ने पीडब्ल्यू 1 लक्ष्मणसिंह, पीडब्लयू पी 2 परखसिंह, पीडब्लयू 3 जेठूसिंह के बयानों में वादीगण का वादग्रस्त आराजी में 1/2 हिस्सा होने व कब्जा काश्त होने की बात की है तथा रकबा 0.735 हैक्टेयर भूमि वादीगण के खाते में कम दर्ज होने से प्रतिवादी संख्या 1 से प्राप्त करने के हकदार है तथा ईएक्सपी 5 प्रदर्श नक्शा 'अ' अनुसार बंटवाड़ा करवाने का वादीगण हकदार है। उक्त गवाहों की जिरह में कोई विरोधाभासी कथन उजागर नहीं हुए है जिससे यह प्रतीत हो कि वादीगण रकबा 0.735 हैक्टेयर भूमि की खातेदारी पाने के हकदार न हो। इस प्रकार वादीगण सरूपा पुत्र वदा कौम राजपुत के पोते है तथा सरूपा के दो पुत्रगण भोमसिंह व प्रतिवादी संख्या 1 पूरसिंह सरूपा की आराजी में 1/2, 1/2 हिस्से के हकदार होने से वादीगण खेत खसरा संख्या 208 में से रकबा 0.725 हैक्टेयर की खातेदारी व 0.01 हैक्टेयर रास्ते हेतु भूमि यानि कुल रकबा 0.735 हैक्टेयर ईएक्सपी 5 प्रदर्श नक्शा 'अ' अनुसार रास्ता व खातेदारी पाने के हकदार होने से वादीगण ने उक्त तनकी अपने पक्ष में साबित कर देने से तनकी संख्या 1 वादीगण के पक्ष में घोषित की जाती है।

<u>**तनकी संख्या :— 02**</u> उक्त तनकी सिद्ब करने का जिम्मा वादीगण पर होने से उक्त के संबंध में तहसीलदार सांचौर द्वार विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुआ जिसके अनुसार खसरा संख्या 208 में से रकबा 0.7350 हैक्टेयर की खातेदारी का प्रस्ताव तैयार किया जाकर अलग अलग रंगों में दर्शाया गया तथा साथ ही खसरा संख्या 208 में से रकबा 0.01 हैक्टेयर भूमि रास्ते के रूप में प्रस्तावित कि गई उक्त तनकी संख्या 02 तहसीलदार सांचौर द्वारा प्राप्त बंटवाड़ा प्रस्ताव अनुसार तनकी संख्या 02 वादीगण के पक्ष में तथा प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्व निर्णित की जाती है।

<u>**तनकी संख्या :— 03**</u> उक्त तनकी का विस्तृत विवेचन तनकी संख्या 1 में किया जा चुका है जिसके अनुसार वादीगण प्रदर्श नक्शा 'अ' में वर्णित आराजी का बंटवाड़ा करवाने व रास्ता की भूमि तरमीम करवाने का अधिकारी होने से तनकी संख्या 3 वादीगण के पक्ष में तय की जाती है।

<u>**तनकी संख्या :— 04**</u> उक्त तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी संख्या 1 पर था परन्तु प्रतिवादी संख्या 1 ने न्यायालय में ऐसा कोई साक्ष्य सबूत या दस्तावेज पेश नहीं किया है जिससे यह साबित किया जा सके कि वादीगण व [illegible] में खातेदारी अधिकारों की घोषणा एवं बाय मिट्स एण्ड बा[illegible] करवाने का अधिकार ना हो जबकि वादीगण ने अपने साक्ष्य व दस्तावेजी स[illegible] से बखूबी साबित किया है कि उक्त आराजी वादीगण की पुश्तैनी संपति है। इस प्रकार प्रतिवादी ने न्यायालय में साक्ष्य पेश नहीं करने से साक्ष्य के अभाव में उक्त तनकी प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्व निर्णित की जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.04.24 17:02:35 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्टट्रेक) सांचौर

तनकी संख्या 05 :– प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने जवाब दावे में बताया कि वादीगण के पिता भोमसिंह ने राजीखुशी आपसी सहमति से विवादित संपति का बंटवाडा करवा दिया था तथा वादीगण की सहमति बंटवाडा में थी तथा 40 साल पुराने आपसी सहमति से किए गए बंटवाड़े को चैलेन्ज किया है इस कारण आपसी सहमति से बंटवाड़ा होने से हाजा न्यायालय के श्रवणाधिकार का नहीं है परन्तु प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने जवाबदावें के समर्थन में आपसी बंटवाड़ा संबंधित कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है तथा न ही प्रतिवादी संख्या 1 न्यायालय में उपस्थित होकर अपने बयान कलमबद्व करवाये है। इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 व वादीगण के पिता भोमसिंह के बीच आपसी सहमति से बंटवाड़ा हुआ हो बाबत् प्रतिवादी संख्या 1 ने ऐसा कोई साक्ष्य या दस्तावेजी सबूत पेश नहीं किया है जिससे यह साबित हो कि वादीगण के पिता भोमसिंह व प्रतिवादी संख्या 1 पूरसिंह के बीच आपसी सहमति से बंटवाड़ा किया हो प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा साक्ष्य व दस्तावेजी सबूत पेश नहीं करने से तनकी संख्या 5 साक्ष्य सबूत के अभाव में प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्व निर्णित की जाती है।

इस न्यायालय द्वारा दिनांक 27.01.2025 को वादीगण को खातेदार घोषित करते हुए प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार सांचौर से प्राथमिक डिक्री की पालना रिपोर्ट तलब की गई जिस पर तहसीलदार सांचौर द्वारा क्रमांक/भू.अ./2025/1001 दिनांक 10.03.2025 को प्राथमिक डिक्री की पालना न्यायालय में पेश हुई जो निम्न प्रकार से है।

राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 अनुसार निम्न प्रकार से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुआ।

क्रं	खातेदार का नाम	खसरा नंबर	रकबा
1	लक्ष्मणसिंह, खानसिंह, जालमसिंह पिसरान भोमसिंह कौम राजपुत सा देह खातेदार	208 में से	0.7350 हैक्टेयर
2	पूरसिंह पुत्र सरूपसिंह कौम राजपुत सा देह खातेदार रहन आई.सी.आई.सी.आई बैंक लिमिटेड शाखा सांचौर	208 में से	2.795 हैक्टेयर
		कुल खसरा :– 01	कुल [illegible] हैक्टेयर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.04.24 17:02:35 IST
Reason: SelfAttested

वादीगण को खसरा संख्या 208 में से रकबा 0.7350 हैक्टेयर [illegible] विभाजन को लाल रंग से दर्शाया गया है उसे कटाण[illegible] शेष भूमि प्रतिवादी संख्या 01 पूरसिंह के खाते में यथावत रखी जावें।

उक्त पालना रिपोर्ट पर उभयपक्षकारान् को सुना जाकर उक्त प्राथमिक डिक्री पालना रिपोर्ट स्वीकार की जाती है तथा प्राथमिक डिक्री की पालना रिपोर्ट अनुसार वादीगण बंटवाड़ा करवाने का अधिकारी होने से वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर उपरोक्तानुसार तनकी संख्या 1,

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्टट्रेक) सांचौर

2, 3, 4, 5 वादीगण के पक्ष में तथा प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्व निर्णित की जाकर अंतिम डिक्री वादीगण करवाने का विधिसम्मत अधिकारी होने से वादीगण का वाद स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

:– **आदेश** :–

इस न्यायालय द्वारा दिनांक 27.01.2025 को जारी प्राथमिक डिक्री के संदर्भ में तहसीलदार सांचौर द्वारा दिनांक 27.01.2025 की पालना में बंटवाड़ा प्रस्ताव अनुसार वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता है तथा उपरोक्तानुसार बंटवाड़ा की डिक्री बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादी संख्या 1 सादिर की जाती है तथा तहसीलदार सांचौर को आदेशित किया जाता है कि प्राथमिक डिक्री की पालना रिपोर्ट दिनांक 10.03.2025 अनुसार भूमि तरमीम कर वादीगण के नाम 0.7350 हैक्टेयर का राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज दुरूस्ती कायम करें। तदनुसार डिक्री पर्चा मूर्तिब हो।

(प्रमोद कुमार, **आर.ए.एस**)
सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) सांचौर, जिला–जालोर

निर्णय आज दिनांक **11.03.2025** को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) सांचौर, जिला–जालोर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.04.24 17:02:35 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकदमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल्स 6–7, जाब्ता दीवानी)
Civil Procedure Code, Appendix "D-"1

न्यायालय सहायक कलक्टर(फास्ट–ट्रेक)सांचौर, जिला–जालोर

पीठासीन अधिकारी का नाम :–श्री प्रमोद कुमार(आर.ए.एस)

मुकदमा संख्या :– 61/2014

जी.सी.एम.एस. नंबर :– 2011/00094

वादीगण

बनाम

1 मृतवफी भोमसिंह पुत्र सरूपसिंह

जति–राजपुत, निवासी–डबाल

तहसील–सांचौर के कायम मुकाम व वारिसदारान्

अ–लक्ष्मणसिंह पुत्र भोमसिंह

ब–खानसिंह पुत्र भोमसिंह

स–जालमसिंह पुत्र भोमसिंह

कौम–राजपुत, साकिनान्–डबाल

तहसील–सांचौर, जिला–जालोर, राजस्थान

प्रतिवादीगण

1 पूरसिंह पुत्र सरूपसिंह

जाति–राजपुत, निवासी–डबाल

तहसील–सांचौर, जिला–जालोर

2 सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार

सांचौर, तहसील–सांचौर

दावा बाबत् इस्तकरारहक, खातेदारी, बंटवाडा एवं जारी करने स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 40, 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

इस न्यायालय द्वारा दिनांक 27.01.2025 को जारी प्राथमिक डिक्री के संदर्भ में तहसीलदार सांचौर द्वारा दिनांक 27.01.2025 की पालना में बंटवाड़ा प्रस्ताव अनुसार वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता है तथा उपरोक्तानुसार बंटवाड़ा की डिक्री बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादी संख्या 1 सादिर की जाती है तथा तहसीलदार सांचौर को आदेशित किया जाता है कि प्राथमिक डिक्री की पालना रिपोर्ट दिनांक 10.03.2025 अनुसार भूमि तरमीम कर वादीगण के नाम 0.7350 हैक्टेयर का राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज दुरूस्ती कायम करें। तदनुसार डिक्री पर्चा मूर्तिब हो।

मौजा–डबाल मुवलिंग बाबत् खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व भरह फीस [illegible] साल [illegible] आज की तारीख से तारीख वसूलयावी तक की अदा कर।

बशर्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख **11.03.2025** को जारी [illegible] गई

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.04.24 17:02:35 IST
Reason: SelfAttested

(प्रमोद कुमार, आर.ए.एस.)
सहायक कलेक्टर (फास्ट–ट्रैक)
सांचौर, जिला–जालोर

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्टट्रेक) सांचौर

मुदई	रूपया	पै0	मुद्दायलाह	रूपया	पै0
स्टाम्प अरजी दावा	03	00	स्टाम्प वकालतनामा	26	00
स्टाम्प वकालात नामा	28	00	स्टाम्प अर्जी	00	00
स्टाम्प वजह सबूय	00		महनताना वकील	00	00
महनताना वकील	00		खर्चा गवाहान	00	00
खर्चा गवाहान	00		फीस कमीश्नर	00	00
फीस कमीश्नर	00		बाबत् इजराय हुक्मनामा	00	00
बाबत् इजराय हुक्मनामा	00		मुतफरीक	00	00
मुतफरिक	00				
मौजाना	31	00	मौजाना	26	00

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर की फरीकेन का, चाहे डिक्री के जरिये दिलाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलेक्टर (फास्ट–ट्रैक)
सांचौर, जिला–जालोर

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्टट्रेक) सांचौर

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, सांचौर
फास्ट ट्रेक
सांचौर (जालोर)
जिला जालोर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.04.24 17:02:35 IST
Reason: SelfAttested